



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/109/2016/एफ.सी. 590

दिनांक: 15-11-17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/13414/2015)

विषय: विश्व बैंक पोषित उ० प्र० कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 हे० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 57.098 हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5890 वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 09.11.2017 की कार्यवाही (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-172/14-2-2016-800(171)/2016, दिनांक- 30.11.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. राज्य सरकार ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नहीं हो पाये हैं, उक्त दस्तावेज ऑनलाईन अपडेट करते हुए इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,
e/c
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, दक्षिणी खीरी, उ0 प्र0।
6. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर, उ0 प्र0।
7. मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, 96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
8. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन म